सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

Save Paper.
Save Trees.
Save the World.

फैक्स व दूरभाष: 0091-135-2744064
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
Website/वेबसाइट: www.surveyofindia.gov.in
E-Mail/ई-मेल: sgo.conf.soi@gov.in

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं0 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं0सी- 1258 /724-एस0ओ0एस0(ए) (I)

दिनांक: 28/04/2022

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून।

निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र, देहरादून ।

विषय: **सहायक भण्डार अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती (डी0पी0सी0-2022)।**

निम्नलिखित भण्डार सहायकों को सहायक भण्डार अधिकारी(ग्रुप 'बी')(राजपत्रित) के पद पर **वेतन मैट्रिक्स लेवल-6** में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

Sl No.	Name of Officer	Present Office	New Posting
1.	Shri Ram Prakash	MA&DC, Dehra Dun	MA&DC, Dehra Dun

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्य ग्रहण करने के **प्रमाण पत्र फार्म 0.115 (लेखा)** की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें जिसमें कार्य ग्रहण करने की तारीख के साथ पूर्वाह्न अथवा अपराह्न स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये । इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते है अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को **दिनांक 28.03.2022** तक अवश्य सूचित करें । **यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं।**

4. उपरोक्त अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें उनकी अस्वीकृति की तिथि से **एक वर्ष** की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं022011/5/86-स्था0(डी0) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ कार्मिक को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. उपरोक्त कर्मचारी **सहायक भण्डार अधिकारी** के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे । इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें ।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिक के कास्ट स्टेटस (Cas te Status) के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

क्रमशः-2/-

7. These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt. (Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Comptent Petition (C) No.30621/2011(Jarnail Singh & Orhers Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.

8. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0 आर0 22(I)(ए)(1) के अधीन अपना विकल्प पदोन्नति की तिथि से एक माह के भीतर देना होगा ।

9. यदि उपरोक्त में से किसी के विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

10. पदोन्नत सभी अभ्यर्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की सेवा पंजिका में अभिलेख हेतु रखें ।

(डा0 यू0एन0 मिश्र)
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपिः–

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. कार्यालय अधीक्षकः स्थापना.1/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0।
3. गोपनीय सहायक (म0स0का0)।
4. इंजार्ज ई–आफिस (म0स0का0) ।
5. इंचार्ज वैब एडमिन(म0स0का0) ।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:
Name:
Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

मै अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मै ***DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:
कर्मचारी का नाम:
कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित